# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

## बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –01/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/01

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति पुरोहित<br>निवासी टुकलिया तहसील मेड़ता,<br>जिला नागौर | | 1. हल्का पटवारी धनापा,तहसील मेड़ता<br>2. नायब तहसीलदार, मेड़ता |

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

**निर्णय** दिनांक 28-03-2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या–08/2022 सरकार बनाम देवीसिंह, अन्तर्गत 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.01.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी धनापा ने भू–निरीक्षण गोटण से एक सत्यापित रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर कथन किया की मौजा रामनगर के ख.नं. 137 रकबा 0.07 हैक्टर गै.मु. मगरा की भूमि पर अपीलांट ने तारों का गेट बनाकर कदीमी रास्ते को बन्द कर अतिक्रमण कर लिया है उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को जरिये नोटीस तलब किया दिनांक 12.10.22 को अपीलांट की ओर से जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 07.12.22 को अपीलांट के विरूद्ध जुर्माना व बेदखली का आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया, जिस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों पर बिना कोई गौर किये अवैध व विधि–विरूद्ध ढंग से पारित किया गया है, इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 12.10.22 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था तथा जवाब के साथ दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पेश किये थे किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों को क्यों नहीं माना जावे इस बाबत बिना कोई कारण अकिंत किये जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.22 तक हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, तथा पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट हेतु विचाराधीन थी किंतु उसके पश्चात् दिनांक 07.12.22 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट अधिवक्ता को बिना बहस



नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

का अवसर दिये तथा बिना बहस सूने एक पक्षीय रूप से आदेश जैर अपील पारित कर दिया इस कारण आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

हल्का पटवारी ने ख.नं. 137 में कदिमी रास्ते पर अपीलांट का अतिक्रमण बताकर रिपोर्ट पेश की है किंतु राजस्व नक्शे अथवा मौके पर इस प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं है फिर भी हल्का पटवारी ने टी.पी. रिपोर्ट में अपनी मनमर्जी से मौके पर रास्ता बताकर जो रिपोर्ट पेश की है यह पूर्ण रूप से गलत है जिसके संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट कथन किये गये थे ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट मौजुदगी में मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी थी किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए जो एक पक्षीय आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट को सबित करने हेतु हल्का पटवारी अथवा भू–अभिलेख निरिक्षक के बयान लेने चाहिए थे किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर जो आदेश जैर अपील पारित किया है, जो काबिल निरस्त के होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 08/22 में पारित आदेश दिनांक 07.12.22 निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 137 रकबा 0.07 किस्म गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा तारों का गेट बनाकर कदीमी रास्ता बन्द करने की पटवारी धनापा व भू अभिलेख निरीक्षक गोटन की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार मेड़ता अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया, जिस पर अपीलान्ट मय अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब पटवारी हल्का धनापा को भेजकर रिपोर्ट चाही गई, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.11.2022 अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में भी पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट उक्त विवादग्रस्त भूमि पर आदिनांक तक काबिज होना तथा आदिनांक तक मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाना बताया है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में कथन किया है कि पुराने खेत खसरा नम्बर 64 व नये खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 30 बीघा बाके ग्राम रामनगर में पाव बीघा में अप्रार्थी की खातेदारी का बेरा स्थित है और बकाया 30 बीघा जमीन पर अप्रार्थी का और उसके भाई भींवसिंह, प्रेमसिंह, अमरसिंह का कदीम से कब्जा कायम है। अपीलान्ट के उक्त कथन से भी यह स्पष्ट रूप से पूर्णतया साबित है, विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अवैध रूप से कब्जा होकर अतिक्रमण है। अपीलान्ट ने उक्त विवादग्रस्त भूमि पर स्वंय का अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो सही होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 137 रकबा 0.07 किस्म गै.मु. मगरा भूमि (जिसे आगे विवादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है) पर अपीलान्ट द्वारा तारों का गेट बनाकर अतिक्रमण कर कदीमी रास्ता बन्द करने की पटवारी धनापा व भू अभिलेख निरीक्षक गोटन की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया, जिस पर अपीलान्ट मय अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब पटवारी हल्का धनापा को भेजकर रिपोर्ट चाही गई, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.11.2022 अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट में भी पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट उक्त विवादग्रस्त भूमि पर आदिनांक तक काबिज होना तथा आदिनांक तक मौके पर से अतिक्रमण नहीं



कलक्टर नागौर

नागौर (राजस्थान)

हटाना बताया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में कथन किया है कि "पुराने खेत खसरा नम्बर 64 व नये खेत खसरा नम्बर 137 रकबा 30 बीघा बाके ग्राम रामनगर में पाव बीघा में अप्रार्थी की खातेदारी का बेरा स्थित है और बकाया 30 बीघा जमीन पर अप्रार्थी का और उसके भाई भींवसिंह, प्रेमसिंह, अमरसिंह का कदीम से कब्जा कायम है।" अपीलान्ट के उक्त कथन से भी यह स्पष्ट है, विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अवैध रूप से कब्जा है। अपीलान्ट ने उक्त विवादग्रस्त भूमि पर स्वंय का अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई प्रमाणिक एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जबाब आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया एवं जबाब रिकार्ड पर लिया जाकर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 07.12.2022 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर